


कथन किया है कि आन सीडियाल
 पर 13.08.2002 को नवम्बर सुभाषराव
 बिरा - नगर के पत्रक नंबर 111 को
 कोषाध्यक्ष रेणुका एवं राजेश लाला इन कोषा
 में गाने रूप के रूप किया है तथा कोष
 पर पिछले कई वर्षों से शक्य नहीं है तथा
 वही बात में भी प्राप्ति के लक्ष्य को
 शक्ति - यानी आ रही है तथा कोष पर फल
 पड़ी हुई है। उक्त शक्ति के अभाव, प्राप्ति
 को वेदपत्र करने पर आन है इसलिए
 अभाव को गाने अलार्न निवेदन आ-
 कोषा आ-प्र 1362.R.114 के निवेदन तक
 पोषक जलाना जाके। वही आ-प्र
 कथन कोष RRT-2002(2) पैग 783, 784,
 एवं R2R 1991 र ^{पार्क 786} नवम्बर पैग की गई

पत्रावली पर उपलब्ध दरलेखन
 इत्यादि का अनुसंधान किया गया। प्रकाश
 में उपलब्ध रेणुका एवं कोषाधिकारी
 13.08.2002 कोषाध्यक्ष उक्त शक्ति राज्य -
 लक्षण - 20-25 वर्ष से बन्द है तथा आन - याक
 के आते-जाते के अपनी आते-जाते शक्ति में
 आन रूप है कोष पर वही बात में फल
 पड़ी है प्रकाश इत्यादि नवम्बर,
 सुविधा का अनुसंधान एवं अनुसंधान

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकामा नं.....

आ-का 286/2021 अजुतयद तदलीकत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>के बिन्दु प्राप्ति के पक्ष में प्रतीत होते हैं तथा उत्तरदाता के इस प्राप्ति पत्र पर चर्चा होती है अतः अज्ञानी को जारी के अहकाम निवेदना ता-केस (प्राप्ति पत्र 171/2021 अजुतयद अज्ञान कल्याण) पंक्ति किला जाता है कि यदि सिद्धिगत पत्राचार मध्य पत्राचार तदलीक कुचामन सिटी के ख.नं 111 में माके एवं रेकार्ड की प्रचारिपत्र अपने रखे तथा प्राप्ति को माके के वेदपत्र नही करे। तदलीक कुचामन सिटी को तदलीक जारी पत्राचार के पत्र युक्त होकर गमक ले जाये।</p> <p style="text-align: center;">आदेश करे इपत्ताह कुचामन सिटी</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div>	